

**राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की
गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर
ई-बुक
(2023)**

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी)

स्वतंत्रता के समय देश की आबादी लगभग 400 मिलियन थी और गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा था। उस समय देश की सिंचाई क्षमता लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर थी। स्वतंत्रता के बाद सतही और भूजल संसाधनों दोनों के विकास और उपयोग के लिए सिंचाई का विशाल कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप हरित क्रांति हुई, जिसने देश को खाद्य की कमी की स्थिति से खाद्य आत्मनिर्भरता में बदलने में मदद की। इन व्यापक प्रयासों के कारण, वर्ष 1979 तक सिंचाई के तहत संभव उच्च उपज वाली फसलों के किस्मों के उपयोग और उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के साथ देश की सिंचाई क्षमता 57 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ गई थी। देश का खाद्य उत्पादन उसी समय तक लगभग 125 से 130 मिलियन टन तक बढ़ गया था। हालांकि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की दर सिर्फ जनसंख्यावृद्धि की दर के बराबर हो सकती है।

जल कृषि के लिए मुख्य घटक है और मनुष्य जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसका इष्टतम उपयोग आवश्यक है। देश के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉ के एल राव ने वर्ष 1972 में गंगा को कावेरी नदी से जोड़कर नदियों को आपस में जोड़ने का विचार रखा था। इसके बाद, 1977 में कैप्टन दस्तूर ने हिमालयी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के चारों ओर एक "गारलैंड नहर" की अवधारणा शुरू की। हालांकि प्रस्तावों को समुदायों के सभी क्षेत्रों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कार्यान्वयन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्य नहीं पाया गया।

जल संसाधन विकास में लगे कई लोगों द्वारा दिखाई गई निरंतर रुचि ने अंतर बेसिन जल पथांतरण प्रस्तावों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया। तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी, जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अंतर बेसिन अंतरण की परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक अर्थात् हिमालयी नदी विकास और प्रायद्वीपीय नदी विकास शामिल हैं।

हिमालयी नदी विकास घटक :

हिमालयी नदी विकास घटक में भारत, नेपाल और भूटान में गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों पर भंडारण के निर्माण के साथ-साथ गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष प्रवाह को पश्चिम में पथांतरित करने के लिए नहर प्रणालियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है, इसके अलावा मुख्य ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों को गंगा और गंगा के साथ महानदी और आगेदक्षिण में जोड़ा गया है।

यह घटक गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ नियंत्रण प्रदान करने के अलावा लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई और लगभग 30 मिलियन किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन प्रदान करेगा। यह फरक्का में प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्वहन भी प्रदान करेगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ कोलकाता बंदरगाह और देश भर में अंतर्देशीय नेविगेशन सुविधाओं को लाने के लिए आवश्यक है।

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक :

इस योजना को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है :

महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना और इनबेसिनों में संभावित स्थलों पर भंडारण का निर्माण।

इस भाग में प्रमुख नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ना शामिल है, जहां महानदी और गोदावरी से अधिशेष जल को कृष्णा, पेन्नार और कावेरीनदियों के माध्यम से दक्षिण में जरूरतमंद क्षेत्रों में पथांतरित करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को आपस में जोड़ना, मुंबई के उत्तर और तापी के दक्षिण में।

इस योजना में इन धाराओं पर यथासंभव इष्टतम भंडारणों के निर्माण और उन्हें आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है ताकि उन क्षेत्रों में अंतरण के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके जहां अतिरिक्त जल की आवश्यकता है। इस योजना में मुंबई के महानगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति नहर ले जाने का प्रावधान है; यह महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों में सिंचाई भी प्रदान करता है।

केन-चंबल को आपस में जोड़ना

इस योजना में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए एक जल ग्रिड और जितना संभव हो उतना भंडारण द्वारा समर्थित नहर को जोड़ने का प्रावधान है।

पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों का पथांतरण

"पश्चिमी घाट" के पश्चिमी किनारे पर होने वाली भारी बारिश कई धाराओं में गिरती है जो अरब सागर में जाती हैं। पश्चिमी क्षेत्र में नए क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्व की ओर कुछ जल के पथांतरण के लिए पर्याप्त भंडारणों द्वारा समर्थित एक इंटरलिंगिंग नहर प्रणाली के निर्माण की योजना बनाई जा सकती है।

प्रायद्वीपीय नदियों के विकास से लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई और लगभग 4 मिलियन किलोवाट जल विद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद है।

एनपीपी के लाभ:

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के कार्यान्वयन से बाढ़ नियंत्रणसूखा उपशमन, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता और दूषण नियंत्रण आदि के आकस्मिक लाभों के अलावा सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, भूजल के बढ़ते उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, अंतिम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर और 34 मिलियन किलोवाट विद्युत का उत्पादन का लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण:

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना 17 जुलाई 1982 को भारत सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के तहत लिंक की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए की गई थी। राजविअ पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके बाद 1990-91 में राजविअ सोसाइटी ने हिमालयी घटक का अध्ययन भी शुरू करने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28-06-2006 को लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतर-बेसिन लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्टें भी राजविअ सोसायटी के कार्यों में शामिल की गई थीं। तदनुसार, जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 30-11-2006 के संकल्प द्वारा राजविअ सोसाइटी के कार्यों में संशोधन किया है। जल संसाधन मंत्रालय के दिनांक 19/05/2011 के संकल्प द्वारा राजविअ के कार्यों को दिनांक

11/06/2011 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राजविअ द्वारा अंतरराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य शुरू करने के लिए संशोधित किया गया था। इसके अलावा, राजविअ के अधिदेश में दो नए कार्य दिनांक 07.10.2016 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जोड़े गए थे। 21.08.2019 को आयोजित राजविअ की छठी एसजीएम के दौरान, राजविअ के कार्यों की मदद संख्या डी को दिनांक 19.03.2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

वर्तमान में अभिकरण के कार्य निम्नानुसार हैं:

- क.** तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालय नदी विकास घटक के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिये संभावित जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।
- ख.** विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों तथा हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा जो कि बेसिनधाज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनधाज्यों में अंतरित की जा सकती है, के संबंध में व्यापक अध्ययन करना।
- ग.** प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से जुड़ी योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।
- घ.** जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना और उसके बाद प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना।
- ङ.** राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिये संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।
- च.** नदियों को जोड़ने का एक भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त अभिकरण संगठन पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को अपने तहत लेना निर्माण मरम्मत नवीन पुनर्वास क्रियान्वयन करना।
- छ.** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गये ऋण या किसी और प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधिधज्जमा राशिध्ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिये वर्तमान या भविष्य दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है।
- ज.** उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक

एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत राजविअ द्वारा एफआर तैयार करने के लिए पहचान की गई जल अंतरण लिंक परियोजनाएं क्रमश 16 और 14 हैं और इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक

1. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलेश्वरम)
2. गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा)
3. गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (पुलिचिंतला)
4. गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर)
5. कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला)
6. कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार
7. कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार
8. पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंडएनीकट)
9. कावेरी (कट्टलाई) - वैगई-गुंडर
10. पार्वती - कालीसिंध - चंबल
11. दमनगंगा - पिंजल
12. पार - तापी - नर्मदा
13. केन - बेतवा
14. पंबा - अचनकोविल - वैप्पार
15. नेत्रावती - हेमावती
16. बेदती - वरदा

एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक के तहत अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक

1. मानस - संकोश - तीस्ता - गंगा (एम-एस-टी-जी)
2. कोसी-घाघरा
3. गंडक - गंगा
4. घाघरा - यमुना
5. शारदा - यमुना
6. यमुना - राजस्थान
7. राजस्थान - साबरमती
8. चुनार - सोनबैराज
9. सोन बांध - गंगा कीदक्षिणी सहायक नदियाँ
10. गंगा (फरक्का) - दामोदर - सुबणरिखा
11. सुबणरिखा - महानदी
12. कोसी - मेची
13. फरक्का - सुंदरबन
14. जोगीघोषा - तीस्ता - फरक्का (एम-एस-टी-जी का विकल्प)

राजविअ की गतिविधियां और उपलब्धियां

गतिविधियां	उपलब्धियां
एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक तहत अध्ययन	
बेसिनो/उप-बेसिनो के जल संतुलन अध्ययन की तैयारी करना	137 बेसिनो/उप-बेसिनो के जल संतुलन अध्ययनपूर्ण
पधांतरण बिंदुओं के जल संतुलन अध्ययन की तैयारी करना	पधांतरण बिंदुओं के 52 जल संतुलन अध्ययन पूर्ण
जलाशय के टोपोशीट और भंडारण क्षमता अध्ययन की तैयारी करना	जलाशय के 58 टोपोशीट और भंडारण क्षमता अध्ययन पूर्ण किया गया
लिक संरक्षण के टोपोशीट अध्ययन की तैयारी करना	लिक संरक्षण के 18 टोपोशीट अध्ययन पूर्ण ।
पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करना	18 पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूर्ण।
व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 1983 से शुरू किया गया। तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किए गए जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों और आपस में जोड़ने वाले लिंकों का विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।	14 व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर) पूर्ण।
नवम्बर, 2006 से शुरू की गई लिक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।	11 डीपीआर पूरी हो चुकी हैं। 1. केन-बेतवा लिक परियोजना (चरण-I और II की व्यापक रिपोर्ट) 2. दमनगंगा-पिंजल लिक परियोजना, 3. पार-तापी-नर्मदा लिक परियोजना, 4. कावेरी-वैगई-गुंडर लिक परियोजना। 5. 6, 7 गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट) -कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला) -कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिक परियोजनाएं शामिल हैं। 8. बेदती-वरदा लिक परियोजना 9. गोदावरी (एसएसएमपीपी/इंचमपल्ली) - कृष्णा (पुलिचिंतला) लिक 10. कृष्णा (श्रीशैलम) की डीपीआर का मसौदा - पेन्नार लिक

	11. कृष्णा (अलमाटी) की डीपीआर का मसौदा - पेन्नार लिंक
एनपीपी के हिमालयी घटक के तहत अध्ययन	
बेसिनो/उप-बेसिनो के जल संतुलन अध्ययन की तैयारी करना	--
पथांतरण बिंदुओं के जल संतुलन अध्ययन की तैयारी करना	19 पथांतरण बिंदुओं के जल संतुलन अध्ययन पूर्ण।
जलाशय के टोपोशीट और भंडारण क्षमता अध्ययन की तैयारी करना	16 जलाशय के टोपोशीट और भंडारण क्षमता अध्ययन पूर्ण
लिंक सरिखण के टोपोशीट अध्ययन की तैयारी करना	लिंक सरिखण के 19 टोपोशीट अध्ययन पूर्ण
पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करना	14 पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी हो चुकी हैं।
तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किए गए जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का एक भाग बनने वाले हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों और आपस में जोड़ने वाले लिंकों का विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।	एक मसौदे सहित 10 व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। 1 मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा 2 गंडक-गंगा (भारतीय भाग) 3 घाघरा-यमुना (भारतीय भाग) 4 शारदा-यमुना (भारतीय भाग) ; 5 यमुना-राजस्थान 6 राजस्थान-साबरमती 7 गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुबणरिखा 8 सुबणरिखा-महानदी 9 गंगा (फरक्का) - सुंदरबन लिंक 10 कोसी-घाघरा लिंक (मसौदा)
लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	4 डीपीआर तैयार की जा रही हैं। 1. मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा 2. सुबणरिखा -महानदी 3. शारदा-यमुना 4. गंगा (फरक्का) - दामोदर- सुबणरिखा लिंक

राज्य सरकारों से प्राप्त अंतः-राज्यीय लिंक प्रस्ताव	
<p>1. नवम्बर, 2006 से पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।</p> <p>2. मई, 2011 से शुरू की गई लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।</p>	<p>39 पीएफआर पूर्ण</p> <p>6 डीपीआर पूरी हो चुकी हैं।</p> <p>1. बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा;</p> <p>2. कोसी-मेची;</p> <p>3. पोन्नैयार-पलार;</p> <p>4. वैनगंगा (गोसीखुर्द) -नलगंगा (पूर्णतापी) लिंक</p> <p>5. दमनगंगा (एकदरे) -गोदावरी लिंक</p> <p>6. दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी लिंक (मसौदा)</p>
जल संतुलन अध्ययन का संशोधन	निरंतर चलने वाले कार्य ।
लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययन	<p>एनआईएच, रुड़की द्वारा महानदी-गोदावरी लिंक का प्रणाली अध्ययन पूरा कर लिया गया है और अंतिम रिपोर्ट मई 2023 में प्रस्तुत की गई है। अध्ययन का परिणाम यह है कि एम-जी लिंक नहर प्रणाली और इसकी वितरिकाओं के लिए विभिन्न हाइड्रोलॉजिकल घटकों की विस्तृत गणना कृषि पद्धतियों , जलवायु स्थितियों और सिस्टम हेड पर पानी की उपलब्धता के परिदृश्यों के विभिन्न संयोजनों के संबंध में विश्लेषण किया गया है और इस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। एम-जी लिंक नहर सिंचाई प्रणाली के लिए एक सिस्टम मॉडल विकसित किया गया है। इन उपकरणों का उपयोग भविष्य में एम-जी लिंक सिस्टम के विश्लेषण के लिए किसी भी अन्य परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।</p> <p>चार लिंकों नामत मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा लिंक, गंगा-दामोदर-सुबणरिखा लिंक, सुबणरिखा-महानदी लिंक और फरक्का-सुंदरबन लिंक के सिस्टम अध्ययन कार्य शुरू कर दिए गए हैं और क्रमशः चार संस्थानों अर्थात आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी पटना, एनआईटी वारंगल और एनआईएच रुड़की को सौंपे गए हैं। प्रणालीअध्ययन कार्य प्रगति पर है।</p> <p>दक्षिणी लिंकों के लिए गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक प्रणाली के लिए प्रणाली अध्ययन से संबंधित कार्य सौंपने का कार्य शुरू कर दिया गया है।</p>

<p>नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति</p>	<p>नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक 23/09/2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत माननीय केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में और महानिदेशक, राजविअ को इसके सदस्य सचिव के रूप में गठित किया गया है।</p> <p>विशेष समिति की पहली बैठक दिनांक 17/10/2014 को आयोजित की गई थी। आईएलआर पर विशेष समिति की अब तक कुल 20 बैठकें आयोजित की गई थीं और अंतिम बैठक 13.12.2022 को आयोजित की गई है।</p>
<p>चार विशिष्ट उप-समितियों का गठन</p>	<p>जैसा कि नई दिल्ली में 17.10.2014 को आयोजित आईएलआर के लिए विशेष समिति की पहली बैठक में चार विशिष्ट उप-समितियों के गठन के लिए निर्णय लिया गया था; नामतः (i) विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति (ii) सर्वाधिक उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन हेतु उप-समिति (iii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन के लिए उप-समिति और (iv) संबंधित राज्यों के बीच बातचीत और समझौते पर पहुंचने के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए उप-समिति।</p> <p>1. उप-समिति (i) विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए अब तक 8 बैठकें हो चुकी हैं।</p> <p>2. उप-समिति (ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए -21--- अब तक 21 बैठकें हो चुकी हैं।</p> <p>3. उप-समिति (iii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन के लिए उप-समिति का गठन सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य श्री एम गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था।</p> <p>राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन संबंधी उप-समिति ने 21.09.2015 को जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।</p>

	<p>4.उप-समिति (iv) बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने और संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने के लिए</p> <p>जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जून, 2002 में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आम सहमति समूह का गठन किया गया है जिसमें महानिदेशक राजविअ सदस्य सचिव हैं। समूह की 11 बैठकें आयोजित की गईं। इस समूह का नाम बदलकर 'संबंधित राज्यों के बीच बातचीत और समझौतों पर पहुंचने के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए उप-समिति' रखा गया है। इस उप-समिति की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।</p>
<p>उप समिति जिनका विलय किया गया।</p>	<p>जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 28.9.2022 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 18.04.2023 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आईसीआईडी, नई दिल्ली के महासचिव श्री ए बी पांड्या की अध्यक्षता में "नदियों को जोड़ने पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए एक उप-समिति" का गठन किया है। उप समिति का गठन उप-समिति-I(आईएलआर के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों का व्यापक मूल्यांकन) और उप-समिति-II (सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए सिस्टम अध्ययन) के विलय से किया जाता है।</p> <p>विलय की गई इस समिति की पहली बैठक हाइब्रिड मोड में 20.01.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसकी दूसरी बैठक 30.06.2023 को एनआईएच, रुड़की में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।</p>
<p>नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन (2015)</p>	<p>केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 24/07/2014 को आयोजित अपनी बैठक में आईएलआर के लिए विशेष समिति के गठन का अनुमोदन करते हुए निदेश दिया कि नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 13.04.2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा श्री बी एन नवलवाला मुख्य सलाहकारजल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक कार्यबल (टीएफ-आईएलआर) का गठन किया गया है। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, है। टास्क फोर्स आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में आईएलआर और जल संसाधन</p>

नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागके लिए विशेष समिति की सहायता करेगा।

टास्क फोर्स की 17 बैठकें क्रमशः 23.04.2015, 05.11.2015, 28.04.2016, 15.06.2016, 25.10.2016, 13.02.2017, 11.05.2017, 15.09.2017, 30.05.2018, 05.10.2018, 18.10.2019, 16.07.2020, 25.02.2021, 29.09.2021, 22.10.2021, 17.05.2022 और 16.03.2023 को आयोजित की गई हैं।

कार्यबल के अंतर्गत विधिक पहलुओं पर समूह का गठन

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल की 15.06.2016 को हुई चौथी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में दिनांक 18.07.2016 को कार्यालय ज्ञापन संख्या राजविअ/तक/400/5/2015/948-958 के माध्यम से एक समूह का गठन किया गया है जो नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन और अन्य संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी पहलुओं और आवश्यक सक्षम प्रावधानों की जांच करेगा। कानूनी समूह ने मार्च 2017 के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। टीएफ-आईएलआर के अध्यक्ष ने दिनांक 02.11.2018 के पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) को रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

ख. कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह का गठन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने आईएलआर परियोजनाओं के वित्तीय पहलुओं पर विचार करने और इसे लागू करने के लिए वित्तपोषण पैटर्न का सुझाव देने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल के अंतर्गत फाइल संख्या 2/5/2005-बीएम/1033-48 दिनांक 12.09.2017 द्वारा वित्तीय पहलुओं पर एक समूह का गठन किया है। समूह ने 07.08.2018 को टीएफ-आईएलआर को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। टीएफ-आईएलआर के अध्यक्ष ने दिनांक 02.11.2018 के पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

एससीआईएलआर की स्थिति-सह-प्रगति की समीक्षा मंत्रिमंडल की बैठकों में की जाती है।	मंत्रिमंडल ने 18.11.2015,15.11.2016, 06.06.2018, 29.07.2020, 25.05.2021 और 29.06.22 को आयोजित अपनी बैठकों में आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति-सह-प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की थी।
राजभाषा हिंदी की प्रगति और कार्यान्वयन	राजविअ को गृह मंत्रालय से हिंदी की प्रगति और कार्यान्वयन के लिए अब तक सत्रह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
'जल मंथन' का आयोजन; राजविअ ने सम्मेलन के दौरान रसद और अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए सहायता प्रदान की।	2014 में पहली बार आयोजित किया गया। 'जल मंथन' पर 4 सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।
राजविअ के प्रकाशन	1. वार्षिक रिपोर्ट 2. जल विकास-इनहाउस त्रैमासिक पत्रिका
भारत जल सप्ताह का आयोजन	2012 में पहली बार सीडब्ल्यूसी के साथ अवधारणा की और संगठित किया। अब तक सात भारत जल सप्ताह आयोजित किए जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 1-5 नवंबर 2022 के दौरान 7वां भारत जल सप्ताह आयोजित किया गया।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के मंडप में भागीदारी	राजविअ हर साल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में भाग लेता है।
वर्ष 2013 में 'जल संरक्षण वर्ष' का आयोजन	वर्ष 2013 में दिल्ली में राजविअ द्वारा अन्य संबंधित संगठनों के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय जल सम्मेलनों का आयोजन	बारह राष्ट्रीय जल सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसने जल संसाधन योजनाकारों, डेवलपर्स और प्रबंधकों को एक साथ आने और विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान किया। पिछला सम्मेलन 1-3 नवम्बर, 2007 के दौरान पुद्दुचेरी में आयोजित किया गया।

राज्यों को अंतर बेसिन अंतरण लिंक योजनाओं से मिलने वाले लाभ

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने उन राज्यों की पहचान की है जिन्हें अंतर-बेसिन जल अंतरण लिंकों से लाभान्वित किया जाना है और इन लिंक योजनाओं से संबंधित राज्यों को प्राप्त होने वाले संभावित वार्षिक सिंचाई लाभों का आकलन किया है। जबकि अंतर-बेसिन जल पथांतरण प्रस्ताव के हिमालयी घटक से सीधे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा को लाभ होगा और ब्रह्मपुत्र के अधिशेष जल से प्रायद्वीपीय घटक को समृद्ध किया जाएगा, प्रायद्वीपीय घटक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात को लाभान्वित करेगा।

राज्यों की आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास

राजविअ द्वारा तैयार की गई सभी रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की जाती हैं। राजविअ सोसायटी की सभी महत्वपूर्ण बैठकों जैसे वार्षिक आम बैठक, शासी निकाय और तकनीकी सलाहकार समिति आदि में राज्य सरकार के अधिकारियों को निरपवाद रूप से आमंत्रित किया जाता है। एमओडब्ल्यूआर/राजविअ/सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रस्तावों की व्यवहार्यता के बारे में समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी लिंक एकीकृत तरीके से संचालित होंगे, न कि पृथक/स्वतंत्र तरीके से। तथापि, उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद, जो राज्य जल समृद्ध हैं, वे अपने अधिशेष जल को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में आम सहमति बनाने और राजविअ द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के मुद्दों पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए जून, 2002 में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समूह गठित किया गया है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग के अन्य अधिकारी तथा संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभाग के सचिव शामिल हैं।

राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (नीरा)

राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकरण (नीरा) के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। कार्य बल-आईएलआर (टीएफआईएलआर) की 15वीं बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया जिसमें इसके गठन की आवश्यकता, इसके सृजन के लिए उपयुक्त माध्यम, नीरा का अधिदेश और कार्य, नीरा की संरचना, राजविअ के कर्मचारियों को नीरा में शामिल करना और पदों की अतिरिक्त आवश्यकताएं, परामर्श तंत्र आदि शामिल थे। कार्यबल द्वारा किए गए विचार-विमर्श के आधार पर नीरा के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।

नीरा के पुनर्गठन और नीरा के सृजन के संशोधित प्रस्ताव पर आईएलआर पर विशेष समिति द्वारा 12.11.2021 को आयोजित अपनी 19वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें नीरा के अधिदेश और कार्य, नीरा की प्रस्तावित संरचना, राजविअ के कर्मचारियों को नीरा में शामिल करना और पदों की अतिरिक्त आवश्यकताएं आदि शामिल थीं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर अधिसूचना के माध्यम से नीरा का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

नीरा के गठन के लिए मसौदा कैबिनेट नोट राजविअ द्वारा तैयार किया गया है और 17.12.2021 को मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय द्वारा कैबिनेट नोट की जांच की गई और माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित अंतिम कैबिनेट नोट को 28.02.2022 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया और संशोधित कैबिनेट नोट मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

कैबिनेट नोट को मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की टिप्पणियों को शामिल करते हुए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था और यह मंत्रालय में विचाराधीन है।

प्राथमिकता वाली लिंक :

जल शक्ति मंत्रालय और राजविअ ने प्राथमिकता लिंक के रूप में निम्नलिखित 5 लिंक की पहचान की है:

1. केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)
2. गोदावरी - कावेरी लिंक परियोजना: इसमें तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं:
 - गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर)
 - कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला)
 - पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक परियोजना
3. संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत किया गया है।

इससे पहले पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना को भी प्राथमिकता वाले लिंकों की सूची में शामिल किया गया था। एमओजेएस के दिनांक 20.03.2023 के पत्र के अनुसार उन्हें "प्राथमिकता लिंक" के रूप में रोक दिया गया है।

1. केन - बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)

केन-बेतवा लिंक परियोजना एनपीपी की पहली लिंक है जो कार्यान्वयनाधीन है। इसके कार्यान्वयन के लिए अधिकांश सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। मार्च, 2021 में केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर पर 44605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन और 8.12.21 को एक विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात् केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से 39317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

संचालन समिति और केबीएलपीए के गठन के लिए राजपत्र अधिसूचना 11.2.2022 को जारी की गई है। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय भोपाल में खोला गया है और छतरपुर, झांसी और पन्ना में तीन और कार्यालय खोले गए हैं। केबीएलपीए और एससी-केबीएलपीए की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। लिंक परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर विभिन्न योजना और तकनीकी मामलों पर केबीएलपीए की समीक्षा करने और सलाह देने के लिए केबीएलपीए के लिए एक तकनीकी सलाहकार समूह (केबीएलपी) का गठन किया गया है। अब तक टीएजी की छह (6) बैठकें आयोजित की गई हैं। केबीएलपी के तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा परियोजना के मुख्य घटक अर्थात् दौधन बांध और इसके सहायक कार्यों (ईपीसी मोड) के लिए निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.06.2023 को दौधन बांध कार्यों के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति भी गठित की गई है। दौधन बांध के लिए ईपीसी निविदा को टीईसी द्वारा जुलाई, 2023 में अंतिम रूप दिया गया है और इसे 11.08.2023 को सीपीपी पोर्टल पर जारी किया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन में केबीएलपीए की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है और दिसंबर 2022 में इसके लिए गठित परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा पीएमसी की नियुक्ति के लिए आवश्यक तौर-तरीके शुरू किए गए हैं।

प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना, वन मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी की शर्तों के अनुपालन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

इस परियोजना को 8 वर्षों में पूरा करने की योजना है। परियोजनापर कुल 8397.67 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें राज्य के बजट से 2670.84 करोड़ रुपये शामिल हैं। केबीएलपी के लिए केन्द्रीय बजट में वर्ष 2023-24 में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. गोदावरी (इंचमपल्ली) - कावेरी (ग्रेड एनीकट) :

एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में इसके पहले भाग के रूप में महानदी के अधिशेष प्रवाह को गोदावरी प्रणाली में मोड़ने और गोदावरी प्रणाली से अतिरिक्त जल के साथ नौ लिंक प्रणाली के माध्यम से कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंदर बेसिनों में पथांतरित करने की परिकल्पना की गई है।

इस क्षेत्र में शीघ्र लाभ प्रदान करने की दृष्टि से, चरण-I के अंतर्गत गोदावरी बेसिन में उपलब्ध अधिशेष जल को तब तक पथांतरित करने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया गया जब तक कि हिमालयी घटक से प्रायद्वीपीय घटक तक वृद्धि नहीं हो जाती। गोदावरी-कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी बेसिन में उपलब्ध अधिशेष जल और गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप-बेसिन में अप्रयुक्त जल को लगभग 7000 एमसीएम तक मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन राजविअ द्वारा किया गया था। वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली) -कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक में गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक शामिल हैं। वैकल्पिक लिंक प्रस्ताव अर्थात् गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज) -कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर राजविअ द्वारा पक्षकार राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों पर विचार करते हुए पूरी की गई थी और अप्रैल, 2021 में परिचालित की गई थी।

अब तक राज्यों के साथ चार परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं। संबंधित राज्यों के साथ तीसरी परामर्श बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के आधार पर राजविअ द्वारा गोदावरी (इंद्रावती उप-बेसिन में अप्रयुक्त जल) से 7000 एमसीएम से लगभग 4000 एमसीएम तक पथांतरण को सीमित करने के प्रस्ताव को पुनर्गठित करने के साथ-साथ बेदती-वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में अनुपूरण के प्रस्ताव को संयोजित करने के लिए एक और वैकल्पिक अध्ययन किया गया है। इस प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) जनवरी, 2023 में पक्षकार राज्यों को परिचालित कर दी गई है। इस प्रस्ताव से लगभग 6.78 लाख हेक्टेयर (तेलंगाना में 2.38 लाख, आंध्र प्रदेश में 2.22 लाख, तमिलनाडु में 1.13 लाख और कर्नाटक में 1.05 लाख हेक्टेयर) को वार्षिक सिंचाई और चार राज्यों में 1.88 करोड़ आबादी और पुडुचेरी में 5 लाख आबादी को घरेलू जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। राज्यों के बीच आम सहमति बनाने और इसलिंक के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3. संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत किया गया

चंबल बेसिन के जल का इष्टतम उपयोग करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) लिंक के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे पर आम सहमति न बन पाने के कारण मूल रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत बनाई गई योजना के अनुसार पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को पीकेसी लिंक परियोजना के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव का अध्ययन किया गया और विभिन्न

प्लेटफार्मों पर दोनों राज्यों के साथ बहुत विचार-विमर्श के बाद, ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना तैयार की गई। इस प्रस्ताव में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कूनो, पार्वती और कालीसिंध उप-बेसिनों में प्रस्तावित घटकों के साथ-साथ ईआरसीपी के घटकों को शामिल किया गया है जो 75 प्रतिशत निर्भरता पर उपलब्ध पथांतरणीय जल के अनुरूप हैं। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक को आईएलआर की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के हिस्से के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत करने और संशोधित पीकेसी लिंक के चरण -1 को देश में प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं में से एक के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को दिसंबर 2022 में आयोजित नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट का मसौदा और लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन जनवरी 2023 में दोनों राज्यों और सीडब्ल्यूसी को भेजा गया था। दिनांक 23/02/23 को राज्यों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी और बैठक के दौरान संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू करने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया था। माननीय मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों और सीडब्ल्यूसी दोनों के साथ दिनांक 19/07/23 को एक बैठक की गई थी।

परियोजना के चरण-1 से मध्य प्रदेश में लगभग 2.58 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिसमें 902 एमसीएम जल का उपयोग होगा और राजस्थान में 2.8 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई के साथ-साथ राजस्थान के 13 पूर्वी जिलों की लगभग 2412 एमसीएम जल का उपयोग करके पेयजल आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

संशोधित पीकेसी लिंक से दोनों राज्यों को लाभ में काफी वृद्धि होगी यदि 19.07.23 को आयोजित बैठक के दौरान चर्चा के दौरान की गई कालीसिंध उप बेसिन के संयुक्त विकास के प्रस्ताव को दोनों राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। दिनांक 23/08/23 और 06/09/23 को प्रगति की समीक्षा करने के लिए माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बैठकें आयोजित की गई थीं।

संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। संशोधित पीकेसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए दोनों राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पार-तापी-नर्मदा (पी-टी-एन) और दमनगंगा-पिंजल (डी-पी) लिंक

दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राजविअ द्वारा मार्च, 2014 में पूरी कर ली गई है और महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। जुलाई 2016 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दी गई है। यह परियोजना मुंबई को सालाना 895 मिलियन क्यूबिक मीटर (316 एमसीएम पिंजल जल सहित) जल प्रदान करेगी। परियोजना की लागत 3008 करोड़ रुपये (2014 मूल्य स्तर) है, जिसमें पिंजल बांध घटक की लागत शामिल नहीं है। बीसी अनुपात 1.95 है।

पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी हो गई थी और 2015 के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात के संबंधित राज्यों को परिचालित की गई थी। इसके बाद, कमान क्षेत्र में और अधिक जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए गुजरात सरकार के सुझावों के आधार पर संशोधित डीपीआर भी तैयार की गई और मई, 2017 के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों को परिचालित की गई। डीपीआर (2017) के अनुसार लिंक परियोजना से 2.32 लाख हेक्टेयर को लाभ होगा, जिसमें से 2.27 लाख हेक्टेयर गुजरात राज्य के डांग, वलसाड, नवसारी, तापी,

सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों में स्थित है और 0.05 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस लिंक से लगभग 27.5 लाख मानव आबादी को लगभग 76 एमसीएम पेयजल की आपूर्ति भी होगी। इस लिंक परियोजना से 21 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन होगा। 2014-15 के मूल्य स्तर पर इस लिंक परियोजना की कुल लागत 10211 करोड़ रुपये है। लाभ लागत अनुपात 1.035 है। वर्तमान में डीपीआर का केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन किया जा रहा है जो अंतिमचरण में है।